

कार्यालय रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, तृतीय तल, अटल नगर, नवा रायपुर
(Telephone - 0771-2282549, helpline - 0771-2511594, email - rfs.cg@gov.in, website - rfas.cg.nic.in)

क्रमांक/रि-2496/2009/ 1627 /24
प्रति,

अटल नगर, नवा रायपुर, दिनांक 14/11/24

अध्यक्ष/सचिव
सांदीपनी एकेडमी
एल.आई.जी. 148/II सेक्टर-2, पानी टंकी के पास
पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर रायपुर
तह. व जिला- रायपुर



विषय:-छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन-1998) की धारा-27 के अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत।
संदर्भ:-आपकी ओर प्रस्तुत प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 02.11.2022

---00---


संस्था सांदीपनी एकेडमी, जिला- रायपुर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीयन क्रमांक- 2496 दिनांक 07.07.2009 द्वारा पंजीकृत है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 24.04.2022 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 02.11.2022 को फायलिंग शुल्क रूपये 4000/- चालान क्रमांक- 92561649, दिनांक 09.10.2022 जमा कर प्रस्तुत करते हुए सूची प्रदाय करने हेतु धारा-27 के अधीन रूपये 40/-, चालान क्रमांक 122165489 दिनांक 25.01.2022 जमा कर प्रस्तुत किया गया है। संस्था में कोई वाद विवाद नहीं होने संबंधित शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा-27 के अधीन दिनांक 14.11.2024 को रिकार्ड पर लिया गया है। जिसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुरुदीवान	अध्यक्ष
02	श्री विनय शर्मा	उपाध्यक्ष
03	श्री महेन्द्र चौबे	सचिव
04	श्री ललित किशोर शर्मा	संयुक्त सचिव
05	श्री कमलेश शर्मा	कोषाध्यक्ष
06	श्री शिवेन्द्र चौबे	कार्यकारिणी सदस्य
07	इन्द्र कुमार चक्रधारी	कार्यकारिणी सदस्य

अतः एतद् द्वारा आज दिनांक 14.11.2024 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।


14/11/2024
(अनुपमा कुजूर)
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)



छत्तीसगढ़ शासन


समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक छ.ग. राज्य 2496

यह प्रमाणित किया जाता है कि " सांदीपनी एकेडेमी " समिति जो " द्वारा एल. आई. जी.-148, सेक्टर-2, पानी टंकी के पास, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर" तहसील रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) में स्थित है, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 07/07/2009.. को पंजीयित की गई है ।

दिनांकसात.. माह..... जुलाईसन् 2009.




(डी. डी. महपत) 07/07/09
समितियों के डिप्टी रजिस्ट्रार
समितियों के रजिस्ट्रार

वास्ते, सांदीपनी एकेडेमी

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

242

जावक क्रमांक

दिनांक

नियमावली

1. संस्था का नाम - सांदीपनी एकेडमी होगा
2. संस्था का पता - एल.आई.जी - 148, सेक्टर -2,
पानी टंकी के पास, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर,
रायपुर (छ.ग.)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़

प्रस्ताव पत्रिका का दिनांक

31/7/09

4. संस्था के उद्देश्य -

पत्रिका का दिनांक

24/9/09

पंजीयन/उद्देश्य का दिनांक

7/7/09

- (1) कृषि व ग्रामीण विकास की गतिविधियों का संचालन करना ।
- (2) उद्यमिता विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कार्य करना ।
- (3) राज्य में स्कूल व महाविद्यालय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालन करना ।
- (4) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जन सामान्य तक पहुंचाना ।
- (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं एवं बच्चों हेतु कल्याणकारी कार्य करना ।
- (6) शासन द्वारा जनहित में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना तथा उसके क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- (7) स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- (8) राज्य में शासन से अनुमति प्राप्त कर चिकित्सा शिक्षा संबंधी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना ।
- (9) राज्य में तकनीकी, व्यावसायिक व प्रोफेशनल कोर्सेस संबंधी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना ।

उप पंजीयक

5. संस्था की सदस्यता : संस्था में निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होंगे :-

(अ) संरक्षक सदस्य : जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में इक्कीस हजार (21,000.00) या अधिक एकमुश्त देगा वह संस्था का संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) आजीवन सदस्य: जो व्यक्ति संस्था को दान के रूप में ग्यारह हजार रुपये (11000.00) या अधिक देकर संस्था का आजीवन सदस्य बन सकेगा । यदि कोई आजीवन सदस्य अपनी सदस्यता को संरक्षक सदस्य में परिवर्तित करना चाहता है तो वह एकमुश्त 11000.00 रुपये जमा कर संरक्षण सदस्य बन सकेगा।

(स) साधारण सदस्य : जो व्यक्ति रुपये 100/- प्रतिमाह या रुपये 1200/- प्रतिवर्ष संस्था को चंदे के रूप में देगा वह साधारण सदस्य होगा । साधारण सदस्य केवल

PAAL Sr

lyk

PAAL

उसी अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये उसने चंदा दिया है जो साधारण सदस्य बिना सन्तोषजनक कारणों के छः माह तक देय चंदा नहीं देगा उसकी सदस्यता समाप्त हो जायेगी। ऐसे सदस्य द्वारा संस्था के लिये नया आवेदनपत्र देने तथा बकाया चंदे की राशि देने पर पुनः सदस्य बनाया जा सकता है।

(द) सम्माननीय सदस्य: संस्था की कार्यकारिणी किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को उस समय अवधि के लिये जो भी वह उचित समझे सम्माननीय सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य साधारण सभा की बैठक में भाग ले सकते हैं परन्तु ऐसे सदस्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य अथवा पदाधिकारी नहीं हो सकते, न ही उन्हें मत देने का अधिकार होगा।

6. सदस्यता की प्राप्ति :

जो भी व्यक्ति संस्था का सदस्य बनना चाहता हो, संस्था के छपे हुए निर्धारित प्रारूप फार्म को भरकर आवेदन करना होगा। ऐसा आवेदन पत्र संस्था की कार्यकारिणी को प्रस्तुत होगा, जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार संस्था की कार्यकारिणी को होगा।

7. सदस्यों की योग्यता :

संस्था का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यता रखना आवश्यक होगा

- (1) आयु 18 वर्ष से कम न हो।
- (2) भारतीय नागरिक हो।
- (3) संस्था के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो। प्रस्ताव प्राप्त का दिनांक 3/7/09
- (4) सद्चरित्र हो तथा मद्यपान न करता हो। पंजीयन क्र० 2496

8. सदस्यता की समाप्ति :

संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो जायेगी :-

- (1) मृत्यु हो जाने पर
- (2) पागल हो जाने पर।
- (3) संस्था को देय चन्दे की रकम नियम 5 में बताए अनुसार न जमा करने पर।
- (4) त्यागपत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर।
- (5) चारित्रिक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के नियमानुसार निकाल दिए जाने पर, जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देनी होगी।

SIACSM

2496 (2) R

पंजीयन/संशोधन का दिनांक 7/7/09

उप पंजीयक

9. संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जायेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किए जायेंगे-

- (1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पिता/पति का नाम, पूरा पता व व्यवसाय ।
- (2) वह तारीख जिसकी सदस्यों को प्रवेश दिया गया हो व रसीद नम्बर ।
- (3) वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो ।
- (5) सदस्यों के हस्ताक्षर

प्रस्ताव प्राप्त का दिनांक 31/7/09
पंजीयन क्र० 2496
पंजीयन/संशोधन का दिनांक 7/7/09

उप पंजीयक



(अ) साधारण सभा :

साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये गये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे । साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी । बैठक का दिनांक, माह, समय व स्थान कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को सूचना देगा। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा । संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जायेगी, उसमें संस्था के पदाधिकारियों का निर्वाचन विधिवत किया जावेगा । यदि सम्बन्धित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं होता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आम सभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में करावें तथा पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन करें ।

(ब) कार्यकारिणी समिति :

कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रत्येक दो माह में होगी तथा बैठक का एजेन्डा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी, बैठक में कोरम 1/2 सदस्यों की होगी यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता तो बैठक एक घण्टे के लिये स्थगित कर दी जायेगी फिर उसी दिन उसी स्थान पर पुनः बैठक आयोजित की जावेगी जिसके लिये कोरम की कोई शर्त नहीं होगी ।

(स) विशेष :

यदि कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से आवेदन किया जाता है तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने हेतु साधारण सभा की बैठक बुलाई जायेगी । विशेष संकल्प पारित होने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित होने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजी जावेगी । पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा ।

11. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रतिवेदन स्वीकृत करना ।
- (ख) संस्था की स्थायी सम्पत्ति व निधि की ठीक व्यवस्था करना ।
- (ग) आगामी वर्ष के लिये लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना ।
- (घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत हों ।

साधक

(3) RPB

- (च) संस्था द्वारा संचालित संस्थानों के आय-व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना ।
 (छ) बजट का अनुमोदन करना ।

12. कार्यकारिणी का गठन : ट्रस्टीज यदि कोई हो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे ।

नियम 5 (अ,ब,स) में दर्शाए गये सदस्यों जिनके नाम सदस्यता पंजी में दर्ज हो में से कार्यकारिणी समिति का गठन होगा । कार्यकारिणी समिति में निम्न लिखित पदाधिकारी एवं सदस्य होंगे ।

1. अध्यक्ष 2. उपाध्यक्ष 3. सचिव
 4. कोषाध्यक्ष 5. संयुक्त सचिव एवं प्रस्ताव प्रकृति का दिनांक

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल :

कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा । समिति का यथेष्ट कारण होने पर उस वर्ष तक जब तक कि नयी कार्यकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता करती रहेगी । किन्तु उक्त अवधि छः माह से अधिक नहीं होगी जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा ।

14. कार्यकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति गठित हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना ।
 (ब) पिछले वर्ष का आय व्यय का लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना ।
 (स) समिति व उसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना संस्था के चल अचल संपत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना ।
 (द) कर्मचारियों, शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना ।
 (ई) अन्य आवश्यक कार्य करना जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जायें ।
 (च) संस्था की समस्त चल-अचल सम्पत्ति कार्यकारिणी के नाम रखना ।
 (छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर संपत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या अन्तरित नहीं की जायेगी ।
 (ज) विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किये जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी । साधारण सभा में कुल सदस्यों 2/3 मत में संशोधन पारित होने पर उक्त प्रस्ताव पारित कर पंजीयक को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा ।

15. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा । अध्यक्ष का मत विचारार्थ



MAK

Lyb

(4)

RH

प्रस्ताव प्राप्ति का दिनांक 31/7/09
पंजीयन क्र. 2496
पंजीयन/संशोधन का दिनांक 7/7/09

विषयों में निर्णयात्मक होगा।

19. उपाध्यक्ष के अधिकार :

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकें अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

20. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :

- (1) साधारण सभा एवं कार्यकारिणी समिति की बैठक समय-समय पर बुलाना तथा समस्त आवेदन एवं सुझाव जो प्राप्त हो, वह कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।
- (2) समिति का आय-व्यय का लेखा परीक्षण से प्रतिवेदन तैयार करके कार्यकारिणी समिति एवं साधारण सभा के सम्मुख प्रस्तुत करना तथा अनुमोदन करना।
- (3) समिति के सारे कागजातों को तैयार करना तथा करवाना। उनका निरीक्षण करना व अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना प्रबंधकारिणी को देना।
- (4) सचिव को किसी कार्य के लिये एक समय में रुपये 5000/- करने का अधिकार होगा।

21. संयुक्त सचिव के अधिकार :

सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा।

22. कोषाध्यक्ष के अधिकार :

समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

23. बैंक खाता :

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट ऑफिस में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या मंत्री तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। दैनिक व्यय हेतु कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रुपये 5000/- रहेंगे।

24. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी :

अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था की वार्षिक आमसभा होने के दिनांक से 45 दिन के भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था का चार्टर्ड एकाउंटेंट से परीक्षित लेखा मय नियत शुल्क सचिव द्वारा भेजी जावेगी।

25. संशोधन :

संस्था के विधान में साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/3 मतों से पारित होगा। यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने का अधिकार पंजीयक फर्म्स एवं संस्थायें को होगा जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा। संस्था के विधान में संशोधन हेतु प्रस्ताव मय-नियत शुल्क सहित प्रस्तुत की जायेगी।

MAC

2496 (5)

RTH

26. विघटन :

संस्था का विघटन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 3/5 मतों से पारित किया जायेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल अथवा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्य वाली किसी संस्था को सौंप दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।

27. सम्पत्ति :

संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्य प्रकार से अन्तरित नहीं की जायेगी एवं उक्त हेतु नियत शुल्क संस्था के द्वारा जमा की जायेगी। संस्था चाहे तो सभी की बैठक में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर चल तथा अचल संपत्ति को बैंक में गिरवी रखकर लोन ले सकता है तथा आवश्यकता पड़ने पर गारन्टर भी बन सकता है।

बैंक खाता :

संस्था की समस्त निधि किसी अनुसूचित बैंक या पोस्ट - ऑफिस में खोला जावेगा एवं समय-समय पर धन जमा करने व निकालने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

29. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :

संस्था को पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक ना बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

30. विवाद :

संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा के अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निश्चित या निर्णय से पक्षों को सन्तोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिये भेज सकेंगे। रजिस्ट्रार का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा। संचालित सभाओं के विवाद अथवा प्रबन्ध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अन्तिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

400
द्वारा किया गया
दिनांक 07/07/09
मूल प्रस्ताव का प्रमाणित प्रति है, बाकी
दिनांक 20/07/09

11517272
दिनांक 27/07/09
2496
या की

प्रस्ताव प्राप्त का दिनांक 31/2/09
पंजीयक 24/96
पंजीयक 7/3/09
उप पंजीयक

(D.D. Mahant)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh
2009

लाल

11/4/3 (6)

पंजीयक

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES
Rs.10

Stamp Cancelled

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH



04AA 903519

संस्था लां दीपनी लठेडीमीजिला - रायपुर पंजीयन
दुमांड ०५७६ दिनांक ०७/०७/०७ श्री पंजी ह्व.पण
की उतिलिपि हेतु उपयोग।

(D.D. Mahant)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh

प्रारूप क्रमांक - 1

(देखें नियम - 3)

समितियों के पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र

1. संस्था का नाम - सांदीपनी एकेडमी होगा
2. संस्था का पता - एल.आई.जी - 148, सेक्टर -2,
पानी टंकी के पास, पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर,
रायपुर (छ.ग.)



संस्था का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण छत्तीसगढ़

संस्था के उद्देश्य -

प्रस्ताव प्राप्त का दिनांक

पंजीयन का

पंजीयन/संस्थापना

3/7/09
2496
7/7/09
उप पंजीयक

- (1) कृषि व ग्रामीण विकास की गतिविधियों का संचालन करना ।
- (2) उद्यमिता विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कार्य करना ।
- (3) राज्य में स्कूल व महाविद्यालय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर संचालन करना ।
- (4) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को जन सामान्य तक पहुंचाना ।
- (5) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिलाओं एवं बच्चों हेतु कल्याणकारी कार्य करना ।
- (6) शासन द्वारा जनहित में चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करना तथा उसके क्रियान्वयन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- (7) स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन करना ।
- (8) राज्य में शासन से अनुमति प्राप्त कर चिकित्सा शिक्षा संबंधी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना ।
- (9) राज्य में तकनीकी, व्यावसायिक व प्रोफेशनल कोर्सेस संबंधी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर संचालन करना ।

CA 2.82

Signature and initials

5. सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध, सोसाइटी के विनियमों द्वारा गवर्नर, परिषद, संचालकों, समिति या शासी-निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्दिष्ट की गई है :-



क्र.सं.	नाम	पता	व्यवसाय
1	श्री महेन्द्र चौबे, पिता - श्री अजेन्द्र चौबे	प्रस्ताव प्राप्ति का दिनांक 31/7/09 द्वारा नंदीश्वर श्रीवास्तव खण्डेलवाल कालानी, कमला कॉलेज रोड, राजनांदगांव (छ.ग.)	नौकरी 24/96 7/7/09 उप पंजीयक
2	श्री हरीश वर्मा पिता - श्री नरेन्द्र वर्मा	द्वारा-जी.सी.राव, चोपड़ा साँ मिल के पीछे, नया मुण्डा, जगदलपुर (छ.ग.)	व्यवसायी
3.	श्री हर्ष कुर्म पिता - श्री एन. के. कुर्म	गली नं. 3, ईदगाहभाटा, विवेकानंद आश्रम के पास, रायपुर, जिला - रायपुर(छ.ग.)	नौकरी
4.	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुरुदीवान पिता - रामखिलावन गुरुदीवान	ग्राम - नौगई बैमा, जिला ब तह. - बिलासपुर (छ.ग.)	नौकरी
5.	श्रीमती रीता गुरुदीवान पति - श्री राजेन्द्र प्रसाद गुरुदीवान	एल. आई. जी- II-148 सेक्टर -2 दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर (छ.ग.)	गृहणी
6.	डॉ. (श्रीमति) रश्मि चौबे पति - श्री महेन्द्र चौबे	ग्राम पो. - देऊरगांव तहसील-साजा जिला - दुर्ग (छ.ग.)	डॉक्टर
7.	श्रीमति शशि किरण यादव पति- श्री करुणेश यादव	म.नं. 52/1575, चन्द्रशेखर नगर, पो. - सुन्दर नगर, रायपुर (छ.ग.)	गृहणी

6. छत्तीसगढ़ सोसायटी अधिनियम 1973(क्र. 44 सन 1973) की धारा 6 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित सोसायटी के विनियम का सम्यक रूप से प्रमाणित एक प्रति इस प्रतिष्ठान ज्ञापन के साथ फाईल की गई है। हम निम्न व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे लिखे गए हैं, समिति का निर्माण उक्त ज्ञापन पत्र के अनुशरण में सोसायटी बनाने के इच्छुक हैं और नीचे दर्शाए गए अनुसार

समाप्त

Signature

Signature

साक्षियों की उपस्थिति में ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं

प्रस्तावित प्राप्ति का दिनांक

3/7/09
2496
7/7/09
हस्ताक्षर

क्र. सं. अभिदाताओं के नाम
एवं पिता/पति का नाम

पिता
पंजीयन नं.

उप पंजीयक



1. श्री महेन्द्र चौबे,
पिता - श्री अजेन्द्र चौबे

द्वारा नंदीश्वर श्रीवास्तव
खण्डेलवाल कॉलोनी,
कमला कॉलेज रोड, राजनांदगांव (छ.ग.)

Handwritten signature

2. श्री हरीश वर्मा
पिता - श्री नरेन्द्र वर्मा

द्वारा-जी.सी.राव,
चोपड़ा साँ मिल के पीछे,
नया मुण्डा, जगदलपुर

Handwritten signature

3. श्री हर्ष कुर्म
पिता - श्री एन. के. कुर्म

गली नं. 3, ईदगाहभाटा,
विवेकानंद आश्रम के पास,
रायपुर, जिला - रायपुर(छ.ग.)

Handwritten signature

4. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुरुदीवान
पिता - रामखिलावन गुरुदीवान

ग्राम - नैमडा बैमा,
बिलासपुर व तह. - बिलासपुर

Handwritten signature

5. श्रीमती रीता गुरुदीवान
पति - श्री राजेन्द्र प्रसाद गुरुदीवान

एल. आई. जी- II-148 सेक्टर -2
दीनदयाल उपाध्याय नगर, रायपुर

Handwritten signature

6. डॉ. (श्रीमति) रश्मि चौबे
पति - श्री महेन्द्र चौबे

ग्राम पो. - देऊरगांव
तहसील-साजा
जिला - दुर्ग

Handwritten signature

7. श्रीमति शशि किरण यादव
पति- श्री करुणेश यादव

म.नं. 52/1575, चन्द्रशेखर नगर,
पो. - सुन्दर नगर, रायपुर (छ.ग.)

Handwritten signature

तारीख -

400
11/5/72
03/07/09
07/07/09
20/07/09
संसाधन का रजिस्ट्रार
रायपुर

(D.D. Mahant)
Dy. Registrar
Raipur
20/7/09
Chhatra

साक्षी - *Bhewra*
हस्ताक्षर -
नाम - *अपेक्षित कुमार शर्मा*
पता - *हरि ओम शर्मा चक्री के पास, सुंदर नगर रायपुर*

Handwritten signatures and marks

भारतीय गैर न्यायिक

दस
रुपये
रु.10



TEN
RUPEES

Rs.10

Stamp Cancelled

INDIA NON JUDICIAL

छत्तीसगढ़ CHHATTISGARH



04AA 903518

संस्था बांदी पनी एडेझी जिला - रायपुर की
पंजीयन दिनांक 24/06/2017/दिनांक 07/07/09 की
पंजीयन मिथ्याबली की प्रतिबिंबित्तु उपयोग।


(D.D. Mahant)
Dy. Registrar
Firms & Societies
Chhattisgarh